"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2016— चैत्र 10, शक 1938

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक 325/एफ 8–146/35/2015.— माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश द्वारा पारित दिनांक 06.08.2008 (रिट याचिका संख्या–440/2000, सुश्री गीता शेषमणि बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य) एवं पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4(1) के अनुपालन में छ.ग. राज्य शासन एतद् द्वारा **"छ.ग. राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड"** का गठन करता है :–

1. **बोर्ड का मुख्यालय**

बोर्ड का मुख्यालय, रायपुर में होगा।

2. **बोर्ड का उद्देश्य**

बोर्ड का उद्देश्य पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 का परिपालन करते हुये पशुओं को अनावश्यक उत्पीड़न या पीड़ा से संरक्षण प्रदान करना है।

3. **परिभाषाएं**

3.1 **"धारा"** अर्थात् पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 (59 ऑफ 1960) ।

3.2 **"अध्यक्ष"** अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष ।

3.3 **"सदस्य"** अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड का सदस्य ।

3.4 **"प्रबंध कार्यकारिणी"** अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड की प्रबंध कार्यकारिणी।

3.5 **"सदस्य सचिव"** अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड का सदस्य सचिव।

4. (अ) बोर्ड का गठन

छ.ग.राज्य, जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड के निम्नानुसार (पदेन व अशासकीय) सदस्य होगें :–

1.	मान. पशुधन विकास मंत्री, छ.ग. शासन	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, छ.ग.शासन, पशुधन विकास विभाग	पदेन सदस्य
4.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग	पदेन सदस्य
5.	प्रधान सरंक्षक, वन, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य
6.	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य
7.	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य
8.	संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य
9.	जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड चेन्नई का सदस्य	नामांकित सदस्य
10.	मान. 02 विधायक, छ.ग. विधान सभा	नामांकित अशासकीय सदस्य
11	राज्य के पंजिकृत गौशालाओं के 02 सदस्य	नामांकित अशासकीय दस्य
12.	पशु कूरता निवारण समिति (SPCA) के 04 सदस्य	नामांकित अशासकीय सदस्य
13.	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव

4. (ब) बोर्ड का पुनर्गठन

4.1 छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की अवधि प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक होगी।

4.2 राज्य सरकार, इस दृष्टि से कि बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य एक ही तारीख तक पद धारण करें और उनकी पदावधियां उसी तारीख को समाप्त हों, राजपत्र में अधिसूचाना द्वारा, बोर्ड का गठन के पश्चात, यथा संभव, पुनर्गठन कर सकेगी।

4.3 उक्त धारा (4.2) के अधीन पुनर्गठित बोर्ड, अपने पुनर्गठन की तारीख से प्रत्येक पांचवे वर्ष के अवसान पर समय–समय पर पुनर्गठित किया जाएगा।

5. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा शर्तेः

5.1 बोर्ड की अवधि पुनर्गठन की तारीख से पांच वर्ष तक होगी, तथा इस प्रकार पुनर्गठित बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य उस अवधि के अवसान तक पद धारण करेंगे, जिसकी पूर्ति हेतु बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है।

5.2 पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह बोर्ड का सदस्य है।

5.3 धारा 4–अ अंतर्गत व्यक्तियों के किसी निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले, निर्वाचित या चुने गये सदस्य की पदावधि जैसे ही वह सदस्य उस निकाय का, जिसके लिये उसे निर्वाचित किया था या चुना गया था, सदस्य नहीं रह जाता है, समाप्त हो जाएगा।

5.4 किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त नामनिर्दिष्ट, निर्वाचित या चुने गये सदस्य की पदावधि उस सदस्य की अवशेष पदावधि के लिये होगी जिसके स्थान पर वह नियुक्त, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है या चुना गया है।

5.5 बिना किसी पूर्व सूचना के बोर्ड के सदस्य यदि लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते है तो उनकी सदस्यता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी।

5.6 राज्य सरकार किसी सदस्य को, हटाये जाने के लिये उसे कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, के आधार पर किसी भी समय हटा सकेगी और ऐसे हटाए जाने से हुई कोई रिक्ति धारा 5.4 के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति मानी जाएगी।

5.7 बोर्ड के सदस्य ऐसे भत्ते यदि कोई हो प्राप्त करेंगे जिनके लिए बोर्ड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहेत हुए इस निमित्त बनाये गए विनियमों द्वारा उपबन्ध करे।

5.8 बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल इसी कारण प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि बोर्ड में कोई रिक्ति थी अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी भाग की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस अवधि की समाप्ति जिसकी लिए बोर्ड की धारा 4 ब के अधीन पुनर्गठन किया गया है और उस धारा के अधीन उसके आगे पुनर्गठन के बीच की अवधि के दौरान, बोर्ड के पदेन सदस्य बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

6. बोर्ड का धन कोष

बोर्ड का धन कोष सरकार तथा किसी स्थानीय निकाय या किसी व्यक्ति द्वारा समय–समय पर उसे दिए जाने वाले अनुदान, चन्दा, उत्तरदान, परिदान, दान इत्यादि से मिलकर बनेगा ।

7. लेखा–जोखा, बजट, ऑडिट तथा बैंकिंग

7.1 बोर्ड के लेखा–जोखा के रख–रखाव की जिम्मेदारी सदस्य सचिव की होगी, जिसका अनुमोदन बोर्ड की बैठक में किया जायेगा। सदस्य सचिव के सहयोग हेतु अधिकारी/अधिकारियों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जावेगी।

7.2 छत्तीसगढ़ शासन के लेखाकार द्वारा प्रचलित प्रावधानो के अनुरूप बोर्ड के लेखा–जोखा का परीक्षण किया जावेगा।

7.3 बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा, आगामी वर्ष हेतु अनुमानित बजट तैयार किया जायेगा तथा बोर्ड की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रति वर्ष मार्च माह के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

7.4 बोर्ड के सदस्य सचिव या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा बोर्ड के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खातों का संचालन करेगा।

8. बोर्ड के कार्य

8.1 पशु कल्याण कार्यों को बढावा देना एवं पशु कल्याण हेतु राज्य शासन को परामर्श देना ।

8.2 जिला स्तर पर गठित पशु कूरता निवारण समिति के कार्यो की समीक्षा करना ।

8.3 पशुओ के प्रति कूरता के निवारण के लिये प्रवृत विधि का निरंतर अध्ययन करना तथा समय–समय पर ऐसी किसी विधि में किये जाने वाले संशोधनो पर शासन को परामर्श देना ।

8.4 ऐसी समस्त कार्यवाही करना जैसा कि, बोर्ड पशु कल्याण हेतु उपयुक्त समझे; यथा शेड्स, पानी की नादें इत्यादि के युक्तियुक्त निर्माण को प्रोत्साहन करने अथवा उपलब्ध कराने अथवा अन्य कार्य।

8.5 वध शालाओं की रूपरेखा (Design) अथवा वध शालाओ के संधारण (Maintenance) के विषय पर अथवा वध एवं वध से पूर्व पशुओं के अनावश्यक शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा एवं यातनारहित विधि से पशुओं के हनन (Slaughter) के संबंध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को इस प्रयोजन से परामर्श देना कि, पशुवध यथासंभव मानवीय विधि से कराना सुनिश्चित हो सके।

8.6 आवश्यकता होने पर मानव व पशु प्रजाति हेतु, जोखिमकारक पशुओं को प्राधिकारियों द्वारा तत्काल अथवा यातना से संज्ञाहीन किये जाने के पश्चात विनष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाना।

8.7 पशु संरक्षण गृह, पशु शरणालय, पशु–पक्षी उद्यान (Sancturies) इत्यादि बनाये जाने को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करना जहॉं पशु या पक्षी वृद्ध और निरूपयोगी हो जाने की स्थिति में जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो आश्रय पा सकें ।

8.8 पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के प्रयोजनार्थ अथवा पशु और पक्षियों के संरक्षण हेतु स्थापित संस्थाओ एवं निकायों के साथ सहयोग करना और कार्यों का समन्वय करना ।

8.9 किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने वाली पशु कल्याण संस्थाओं को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसी पशु कल्याण संस्थाओ के, आचरण को प्रोत्साहित करना, जो बोर्ड की सामान्य देखरेख और निर्देशन के अधीन कार्य करें।

8.10 चिकित्सकीय देखभाल तथा सावधानी संबंधी मामलों में शासन को परामर्श देना तथा पशु अस्पतालों को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना जब कभी बोर्ड ऐसा करना आवश्यक समझे।

8.11 पशुओं के साथ सद्व्यवहार के संबंध में शिक्षा प्रदान करना, व्याख्यानों, पुस्तकों, प्रचारपत्रो, चलचित्र प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से पशुओ को अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाये जाने के विरूद्ध एवं पशु कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाने प्रयास करना ।

8.12 पशु कल्याण अथवा पशुओ के अनावश्यक पीड़ा या यातना का निवारण के प्रयोजन से राज्य सरकार को परामर्श देना ।

8.13 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों की भावनाओं के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को परामर्श देना।

8.14 पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना का निवारण एवं पशुओं एवं पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित पशु कल्याण समितियो/संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना तथा इस प्रकार की समस्त संस्थाओं से समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना ।

8.15 स्वयं के कार्यों एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु बोर्ड द्वारा उचित नियमावलियां तैयार करना तथा तद्नुसार शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित करना।

8.16 अपने कार्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड द्वारा राज्य सरकार, स्थानीय निकायो, सरकारी विभागों तथा अन्य संवैधानिक निकायों (Statutory Bodies) से, उनके कार्यो से संबंधित सूचनाये मांगी जायेगी तथा अपने कार्यों की प्रतिपूर्ति हेतु, राज्य में किसी भी स्थान पर भ्रमण किया जाना ।

9.1 (अ) सामान्य सभा की बैठक

9.1.1 सामान्य सभा में धारा 4 (अ) में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे।

9.1.2 सामान्य सभा की बैठक वर्ष में दो बार अध्यक्ष द्वारा चयनित स्थान पर की जावेगी ।

9.1.3 बोर्ड, के सामान्य सभा की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जावेगी। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जावेगी ।

9.1.4 बैठक का कोरम, बोर्ड के दो तिहाई सदस्य द्वारा पूर्ण होगा ।

9.1.5 बैठक के आयोजन की सूचना 15 दिवस के पूर्व समस्त सदस्यों को दी जावेगी । विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक का आयोजन 7 दिवस के पूर्व सूचना पर की जा सकेगी।

9.1.6 बैठक के कार्यवाही विवरण का अभिलेखन सदस्य सचिव, द्वारा किया जावेगा जो कि, बोर्ड के समस्त सदस्यों एवं राज्य शासन को अग्रेषित करेगा।

विशेष—

यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये सामान्य सभा की बैठक बुलायी जायेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति शासन को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जायेगा। शासन को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

9.2 (ब) सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्तव्य

9.2.1 संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

9.2.2 संस्था की स्थायी निधि व संपत्ति की समुचित व्यवस्था करना।

9.2.3 ऐसे विषयों पर विचार करना, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत हो।

9.2.4 बोर्ड द्वारा नियमित होने वाली संस्थाओं के आय–व्यय लेखा को स्वीकृत करना ।

9.2.5 बजट का अनुमोदन करना।

10.1 (अ) कार्यकारिणी समिति

धारा 4 (अ) में दर्शाये गये सदस्यों में से निम्नांकित सदस्यो का कार्यकारिणी समिति में पदेन मनोनयन होगा :–

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव, छ.ग. शासन, पशुधन विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़	कार्यकारिणी सदस्य
4.	सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग	कार्यकारिणी सदस्य
5.	संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग, छ.ग.	कार्यकारिणी सदस्य
6.	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव

10. 2 (ब) कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

10.1 जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, बोर्ड का गठन हुआ है,उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

10.2 पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ, प्रगति प्रतिवेदन के साथ, प्रतिवर्ष सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

10.3 बोर्ड के चल–अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि, का भुगतान करना।

10.4 कार्यकारिणी समिति को संबंधित विषयों पर उपसमितियो के गठन करने का अधिकार होगा।

10.5 अन्य आवश्यक कार्य करना, जो बैठक में समय–समय पर सौंपे जाय।

10.6 कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जावेगा । बैठक का एजेण्डा अध्यक्ष/सदस्य सचिव निर्धारित करेगा, जिसकी सूचना बैठक के पूर्व सम्मानित सदस्यों को दी जायेगी।

10.7 बैठक के आयोजन की जिम्मेदारी कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव की होगी।

11. बोर्ड, अध्यक्ष के अधिकार

11.1 बोर्ड, अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

11.2 बोर्ड के अध्यक्ष को पूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार होगा।

11.3 विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष का होगा।

12. सदस्य सचिव का अधिकार

12.1 आय–व्यय का लेखा परीक्षक से अंकेक्षण उपरांत तैयार किया गया प्रतिवेदन सामान्य सभा को प्रस्तुत करना।

12.2 सामान्य सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक समय–समय पर बुलाना और बोर्ड और कार्यकारिणी समिति को संदर्भित समस्त प्रस्ताव एवं प्राप्त आवेदन पत्र बैठक में प्रस्तुत करना ।

12.3 कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन प्राप्ति उपरांत बोर्ड के निधियों का संचालन।

12.4 रूपये 50,000/–(रूपये पचास हजार मात्र) तक कार्यालयीन एवं आकस्मिक व्यय करने का उन्हें अधिकार होगा।

12.5 बोर्ड के लेखा पंजी, परिसम्पित्तियां आदि का संधारण।

12.6 जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड कार्यालय के संचालन के संबंधित समस्त प्रशासनिक अधिकार ।

12.7 भारत सरकार के पर्यावरण, वन मंत्रालय व राज्य शासन के संबंधित विभाग एवं भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोडतथा छ.ग.राज्य गौसेवा आयोग, से सहयोग एवं सामंजस्य संबंधित कार्य ।

12.8 बोर्ड के अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का परिपालन एवं बोर्ड के दैनिक कार्यो का संपादन ।

12.9 बोर्ड की बैठक का एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही विवरण पंजी, कैशबुक, स्कंध पंजी आदि का संधारण ।

13. <u>विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति</u>

बोर्ड जैसा उचित समझे राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए ऐसे विनियम बना सकेगा जिससे वह अपने कार्यो का प्रशासन कर सके और अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके।

14. <u>नियम में संशोधन हेतु बोर्ड की शक्ति</u>

बोर्ड, के सामान्य सभा में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों के बहुमत के आधार पर नियमों में संशोधन अथवा परिवर्तन, राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।

15. <u>विविध</u>

15.1 बोर्ड, छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से कार्य प्रारंभ कर देगा।

15.2 बोर्ड का पंजीयन उपरोक्तानुसार प्रावधानों के आधार पर छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत होगा ।

15.3 यह अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 22nd March 2016

NOTIFICATION

No. 325/F 8-146/35/2015.— In compliance of the honourable Supreme Court order dated 06.08.2008 (*Writ Petition Number-440/2000, Miss Geeta sheshmani Versus Union of India and others*) and section 4(1) of "Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960"; Government of Chhattisgarh hereby pleased to constitute **"Chhattisgarh State Animal Welfare Board"** under Livestock Development Department.

1. <u>Office of the Board</u> :-

Office of the Board shall be, at Raipur.

2. Objective of the Board :-

Objective of the Board is to protect the animals from infliction of unnecessary pain or suffering by enforcement of "Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960".

3. Definitions :-

3.1 "**Act**" means the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (No. 59 of 1960)

3.2 "**Chairman**" means the Chairman of Chhattisgarh State Animal Welfare Board.

3.3 "**Member**" means the member of Chhattisgarh State Animal Welfare Board.

3.4 "**Executive Committee**" means Executive Committee of Chhattisgarh State Animal Welfare Board.

3.5 "**Member Secretary**" means the Member Secretary of Chhattisgarh State Animal Welfare Board.

4. (A) Constitution of the Board :-

The State Animal Welfare Board of Chhattisgarh shall consist of the following (Ex officio and non-govt.) members namely:-

1	Hon'ble Minister ,Livestock Development, Gov. of CG	Chairman
2	Agriculture Production Commissioner, Gov. of CG	Vice Chairman
3	Secretary, Gov. of CG, Livestock Development Department	Ex officio Member
4	Chairman, Chhattisgarh State GoSewa Aayog	Ex officio Member
5	Principal Chief Conservator of Forest, Chhattisgarh	Ex officio Member
6	Director General of Police, Chhattisgarh	Ex officio Member
7	Director Veterinary Services, Chhattisgarh	Ex officio Member
8	Director Urban Administration Deptt., Chhattisgarh	Ex officio Member
9	Member of Animal Welfare Board of Chennai	Nominated Member
10	Hon'ble 02 M.L.A's. CG Assembly	Nominated Non Govt. Member
11	Two Members of registered Goshala's of the state	Nominated Non Govt. Member
12	Four Members of Society for prevention of cruelty to animal (SPCA)	Nominated Non Govt. Member
13	Joint Director, Veterinary Services, State Animal Welfare Board, Chhattisgarh	Member Secretary

4. (B) Re-Constitution of the Board:-

4.1 The term of Chhattisgarh State Animal Welfare Board shall be of five years from the date of notification.

4.2 In order that the Chairman and other members of the Board hold office till the same date and that their terms of office come to an end on the same date, the state Government may, reconstitute, as soon as may be after the notification of Chhattisgarh State Animal Welfare Board in the official gazette.

4.3 The Board as reconstituted under sub-section 4.2 shall be reconstituted from time to time on the expiration of every fifth year, from the date of its reconstitution.

5. Terms of office and conditions of service of members of the Board:-

5.1 The term of the office shall be five years from the date of the reconstitution and the Chairman and other Members of the Board as so reconstituted shall hold office till the expiry of the term for which the Board has been reconstituted.

5.2 The term of office of an ex-officio Member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member of the Board.

5.3 The term of office of a Member elected or chosen under section 4 (A) shall be co-terminus with their membership of the body for which he had been elected.

5.4 The term of office of a Member appointed, nominated, elected or chosen to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of office of the Member in whose place he is appointed, nominated, elected or chosen.

5.5 If member of the Board found absent without prior notice in the last three consecutive meetings, his/her membership shall be considered to be **terminated**.

5.6 The State Government may, at any time, remove for reasons to be recorded in writing a member from office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the proposed removal and any vacancy caused by such removal shall be treated as casual vacancy for the purpose of clause (5.4).

5.7 The members of the Board shall receive such allowance, if any, as the Board may, subject to the previous approval of the State Government decide.

5.8 No act done or proceeding taken by the Board shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of the Board and in particular, and without prejudice to the generally of the foregoing, during the period intervening between the expiry of the term for which the Board has been reconstituted under section 4 B and its further reconstitution under that section, the ex-officio members of the Board shall discharge all the powers and function of the Board.

6. Funds of the Board:-

The funds of the Board shall consist of grants made to it by the Government and of contributions, subscriptions, bequests, gifts and the like made to it by any local authority or by any other person from time to time.

7. Accounts, Budget, Audit and Banking:-

7.1 The Member Secretary of the Board shall be responsible for maintenance of the accounts subject to approval in the meeting of the Board. He may be assisted by the officer/officers appointed by the Board in this behalf.

7.2 The accounts will be audited by the auditors of the Government of Chhattisgarh as per rules in force.

7.3 The Budget estimate for the ensuing year shall be prepared by the Secretary, State Animal Welfare Board and be placed before the Board meeting for approval before March every year.

7.4 The Member Secretary of the Board or any officer authorise by him in this behalf shall operate the Bank accounts with any Nationalised Bank.

8. Functions of the Board :-

8.1 To promote animal welfare activities and advice the state government on matters related to welfare of animals.

8.2 To review the work of District level Society for Prevention of Cruelty to Animals.

8.3 To keep the law in force for the Prevention of Cruelty to Animals under constant study and to advise the government on the amendments to be undertaken in any such law time to time.

8.4 To take all such steps as the Board may think fit for welfare of animals like construction of sheds, water troughs etc.

8.5 To advise the Government or any local authority or other person in the design of slaughter houses or the maintenance of slaughter houses or in connection with slaughter of animals so that unnecessary pain or suffering, whether physical or mental, is eliminated in the pre-slaughter Stages as far as possible, and animals are killed; wherever necessary, in as humane manner as possible;

8.6 To take all such steps as the Board may think fit to ensure that unwanted or dangerous animals are destroyed by local authorities whenever it is necessary to do so either instantaneously or after being rendered insensible to pain or suffering.

8.7 To encourage by the grant of financial assistance or otherwise, the formation or establishment of animal shelters, rescue homes, sanctuaries and the like where animals and birds may find a shelter when they have become old and useless or when they need protection.

8.8 To co-operate with and co-ordinate the work of associations or bodies established for the purpose of preventing unnecessary pain or suffering to animals or for the protection of animals and birds.

8.9 To give financial and other assistance to Animal Welfare Organisations functioning in any local area or to encourage the formation of Animal Welfare Organisations in any local area, which shall work under the general supervision and guidance of the Board.

8.10 To advise the Government on matters relating to the veterinary care and attention and to give financial and other assistance to Veterinary hospitals whenever the Board think necessary to do so.

8.11 To impart education in relation to the humane treatment of animals and to encourage the formation of public opinion against the infliction of unnecessary pain or suffering to animals and for the promotion of animal welfare by means of lectures, books, posters, cinematographic exhibitions and the like.

8.12 To advise the State Government on any matter related with animal welfare or the Prevention of infliction of unnecessary pain or suffering on animals.

8.13 To advise the State Government to ascertain implementation of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and other provisions framed thereunder.

8.14 To recognize and affiliate Animal Welfare Societies/ Organizations established in the state for the purpose of prevention of infliction of trauma, pain or suffering to animals and conservation of animals and birds as well as to coordinate and co-operate such organizations.

8.15 To formulate suitable manuals for carrying out its functions and establishing administrative system and shall propose the same to the government for approval.

8.16 To make correspondence with state government, government departments, local bodies, and other statutory bodies to seek relevant information and shall visit to such places within the state to fulfil its functions.

9.1 (A) <u>General Body Meeting</u> :-

9.1.1 General Body meeting shall be attended by the members as shown under section 4 (A).

9.1.2 General Body meeting shall be held twice in a year at venue decided by the chairman.

9.1.3 The Chairman shall preside over the General Body meeting of the board. In absence of the Chairman, the Vice-Chairman shall preside over the chair.

9.1.4 Two third of total number of members of the Board shall form a Quorum.

9.1.5 All the members shall be informed 15 days prior notice to attend the meeting. An extraordinary meeting can be convened by the chairman with prior notice of 7 days to members.

9.1.6 The minutes of the meeting recorded by the Member Secretary shall be circulated to all members and to state government.

Special :-

On written request by 2/3rd member, a general body meeting can be called in order to review indicated subjects. A copy of Special resolution passed shall be send to the state government within a period of 45 days.

9.2 (B) Powers and duties of the General Body :-

9.2.1 To approve detail annual progress report of previous years of the institution.

9.2.2 To manage consolidated funds and property of the institution properly.

9.2.3 To consider subject matters proposed by the Executive Committee.

9.2.4 To approve receipt-expenditure account statement of the institutions governed by the Board.

9.2.5 Approval of budget.

10.1 (A) Executive Committee :-

The following members mentioned under section 4 A shall be nominated as Ex-officio member of the Executive Committee:-

1.	Agriculture Production Commissioner, Gov. of CG	Chairman
2.	Secretary, Gov. of CG, Livestock Development Deptt.	Vice Chairman.
3.	Director, Veterinary Services, Chhattisgarh	Member
4.	Secretary Chhattisgarh State Go-Sewa Aayog -	Member
5.	Director, Urban Administration Department, Gov. of CG	Member
6.	Joint Director, Veterinary Services, State Animal Welfare Board, Chhattisgarh	Member Secretary

10.2 (B) Powers and duties of Executive Committee :-

10.1 To fulfil the objectives for which the Board is established and to make arrangements for its fulfilment.

10.2 To propose audited receipt & expenditure account statement of previous year along with progress report annually at general meeting.

10.3 To pay taxes etc levied on movable /immovable property of the board.

10.4 To constitute standing committee on related subject matter.

10.5 To carry out other important works assigned during the meeting from time to time.

10.6 To organize quarterly meeting of the Executive Committee. The agenda for meeting shall be decided by Chairman/Member Secretary of the Executive Committee, which shall be informed to the hon'ble members prior to meeting.

10.7 The Member Secretary of the Executive Committee shall be responsible to organize the meeting.

11. Powers of Chairman of the Board :-

11.1 The decision of the Chairman of the board on the matters presented to Board for consideration shall be Final.

11.2 Chairman of the Board shall have full financial and administrative powers.

11.3 Chairman of the Board shall have the rights to take final decision on disputed matter/s.

12. Powers of the Member Secretary:-

12.1 To present the audited receipt and expenditure statement in General body meeting prepared by the auditor.

12.2 To organize General Body and Executive Committee meeting and to present all referred proposals and applications received to Board/Committee before General body and Executive Committee meeting time to time.

12.3 Operation of funds after approval of the Chairman of the Executive Committee.

12.4 He/She will have rights to sanction office causal expenses up to Rs 50,000/- (Fifty thousand rupees only).

12.5 To maintain account and assets registers etc. of the Board.

12.6 Full administrative powers to operate office of the Animal Welfare Board.

12.7 To keep cooperation and coordination with Ministry of Environment and forest, government of India, Animal welfare board of India and other related department of state govt and C.G. State Go-Sewa Aayog.

12.8 To follow up the instructions given by Chairman of the Board or Executive committee time to time and to carry out daily routine works.

12.9 To maintain meetings agenda register, proceeding register of the Board, cash book, stock register, etc. of the board.

13. Power of the Board to make regulations:-

The Board may, subject to prior approval of the State Government can make such regulations as it may think fit for the fulfilment of its responsibility and to carry out its administrative functions.

14. Power of the Board to make amendment:-

On the basis of the majority of the two third ($2/3^{rd}$) members present and voting in the General Body meeting, the Board shall recommend amendments or changes in the rules, subject to the approval of the State Government.

15. Miscellaneous:-

15.1 The Board shall commence its functioning from date of publication of this notification in the Chhattisgarh state official Gazette.

15.2 The board shall be registered under Chhattisgarh Society Registration Act 1973 on the basis of above mentioned provisions.

15.3 This notification shall be effective from the date of publication in the Chhattisgarh official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANUP KUMAR SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.